Phone No. 07578-252027 Fax No. 07578-252441

कार्यालय मुख्य अधिशासी अधिकारी
OFFICE OF THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER
छावनी परिषद पचमढ़ी

अल्पकालीन नीलामी सूचना

क्र. 40/पी0डब्लू0/पार्किंग/1175 दिनॉक 14 जुलाई 2017

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि छावनी परिषद सर्वे क्र. 109 डी होटल हाईलैण्ड के सामने के मैदान को नागपंचमी मेले के दौरान पार्किंग हेतु दिनॉक 19/07/2017 के 1100 बजे नीलाम करना चाहता है। इच्छुक व्यक्ति पार्किंग शुल्क बसूली हेतु नीलामी में रूपये 5000/- अमानत राशि जमा कर भाग ले सकते है। पार्किंग शुल्क की बसूली की अवधि दि5नॉक 19/07/2017 से 29/07/2017 तक रहेगी।

नीलामी की शर्ते :-

1) सफलतम बोली कर्ता को नीलामी की राशि बोली के 24 घण्टे के अन्दर जमा करना होगा, अन्यथा नीलामी निरस्त कर, सफलतम बोली कर्ता की अमानत राशि जप्त कर ली जावेगी।

2) पार्किंग की राशि निम्नानुसार होगी। :-

   a) सूमो, गामा, बुलेरो एवं इसी प्रकार के वाहन – रूपये 50/- प्रतिदिन

   b) मारूती 800, इन्डीको एवं इसी प्रकार के वाहन – रूपये 30/- प्रतिदिन

   c) बस ट्रक एवं इसी प्रकार के वाहन – रूपये 70/- प्रतिदिन

3) सफलतम बोलीकर्ता को अपने स्वंय के खर्चे से पार्किंग की रशीद गद्दी छपवाना होगा। इसका प्रारूप छावनी परिषद कर निरीक्षक से प्राप्त किया जा सकता है।

4) पार्किंग राशि की बसूली हेतु रशीद गद्दी छावनी परिषद कार्यालय से प्रमाणित की जावेगी, एवं ठेका अवधि समाप्त होने पर समस्त गद्दी सफलतम बोलीकर्ता को छावनी परिषद कार्यालय मे जमा करना होगा।

5) सफलतम बोलीकर्ता की यह जिम्मेदारी होगी कि वह पार्किंग मे खडे समस्त वाहनो की सुरक्षा करेगा, एवं यदि किसी वाहन में किसी भी प्रकार की क्षति होती है, तो इसकी जवाबदारी ठेकेदार की होगी।

6) पार्किंग स्थल पर वर्षा होने के कारण यदि कोई वाहन फॅस जाता है, तो ठेकेदार ऐसे वाहन को निकालने की व्यवस्था करेगा।

7) पार्किंग स्थल के समतलीकरण आदि की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

8) पार्किग स्थल पर वाहनो को सुव्यवस्थित पार्क कराना होगा, ताकि वाहन आने – जाने मे असुविधा न हो।

9) पार्किग स्थल पर अवैध बसूली नही होनी चाहिऐ यदि ऐसी शिकायत प्राप्त होती है, तथा अवैध बसूली का प्रकरण सिद्व होता है, तो ठेकेदार का ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा एवं उसके द्वारा जमा संपूर्ण राशि छावनी परिषद द्वारा जप्त कर ली जावेगी।

10) पार्किग स्थल पर किसी भी प्रकार का विवाद नही होना चाहिए।

11) पार्किग स्थल पर किसी प्रकार की दुर्धटना की पूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी।

12) मुख्य अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत कर्मचारी कभी – कभी पार्किग स्थल का निरीक्षण कर सकते है तथा पार्किग चार्ज बसूली संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते है।

13) सफलतम बोलीकर्ता/ठेकेदार को पार्किग व्यवस्था बनाने एवं पार्किग शुल्क बसूली मे लगाये समस्त कर्मचारीयो की सूची एवं फोटो छावनी परिषद कार्यालय मे देना होगा एवं उनके परिचय पत्र बनवाना होगा।

14) किसी प्रकार से यात्रायात नियमो का उल्लधंन न हो यह ठेकेदार की सुनिश्चित करना होगा।

15) ठेके संबंधी किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति मे छावनी परिषद पचमढ़ी/मुख्य अधिशासी अधिकारी का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

सत्यम मोहन भा.र.सं.से.
मुख्य अधिशासी अधिकारी,
छावनी परिषद पचमढ़ी

प्रतिलिपि :–

1. छावनी परिषद कार्यालय सूचना पटल।
2. बस स्टेण्ड सूचना पटल।
3. जवाहर चौक सूचना पटल।
4. गॉधी चौक सूचना पटल।
5. साडा कार्यालय सूचना पटल।
6. तहसील कार्यालय सूचना पटल।
7. पण्डित टी स्टाल चस्पा हेतु।
8. श्री अभ्यूदय अग्रवाल, सहायक प्रोग्रामर – *छावनी परिषद की बेबसाईट मे प्रकाशन हेतु।*
छावनी परिषद पचमढ़ी।